राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांक : / रा.नि.आ.-2/1775 /2014

दिनांक 2014

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–1963 / रा0नि0आ0–2 / 1775 / 2014
देहरादूनः दिनांकः 21 अगस्त, 2014

उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन–2014

अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1849 / xII(1)–2014–84(08) / 2014 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के क्रम में मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद– 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों **(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)** की ग्राम पंचायतों के उप **प्रधान, ग्राम पंचायत** के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29.08.2014 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)	29.08.2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	29.08.2014 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 12. 30 बजे तक)	29.08.2014 (अपराह्न 12. 30 बजे से अपराह्न 13.00 तक)	29.08.2014 (अपराह्न 13. 30 बजे से अपराह्न 15.30 बजे तक)	29.08.2014 (अपराह्न 16. 00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) अपने जिले की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 22.08.2014 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

21/8/14

लगातार 2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : Sec.uttarakhand@gmail.com

निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।

21/8/14
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या–1963 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 1775 / 2014 तद्दिनांक।(फैक्स / ई0मेल)
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
16. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
17. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
19. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
20. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
21. निदेशक, दूरदर्शन / आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
22. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
23. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
24. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
25. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ / अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
26. आयोग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
27. सूचना–पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

21/8/14
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।